16/5/2024 पत्रावली पेश हुई बाद - बार आवाज लगाई गई वकील वादी व उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं। न्यायालय का समय समाप्ति की ओर है। इस लिये दावा अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली कैशल कुमार होकर नथ्थर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मालपुरा (टोंक) राज.